रजिस्ट्री सं° डी° एल°-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2005/अग्रहायण 18, 1927

No. 503] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2005/AGRAHAYANA 18, 1927

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 713(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 31 और धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), निगम की वार्षिक रिपोर्ट (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), निगम की वार्षिक रिपोर्ट नियम, 2004 में, —

(i) नियम 2 के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;"

(ii) नियम 3 में,—

(क) विद्यमान प्रारंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. निगम अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस वर्ष जिससे उसका संबंध है, की समाप्ति से छह मास के भीतर उसे अधिनियम की धारा 31 की अपेक्षा के अनुसार संसद् के समक्ष रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगा और रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—"

(ख) विद्यमान खंड (x), खंड (xix) और खंड (xx) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(x) परिव्यय, उपलब्धियां और कमियां, यदि कोई हों और कमियों के कारण उपदर्शित करते हुए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट के अधीन वर्ष के लिए वार्षिक योजना स्कीमों के ब्यौरे।

(xix) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निगम के तुलन पत्र का सार।

(xx) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों के विवरण का सार।"

[**स्पष्टीकारक टिप्पण**—उसमें 'वर्ष' शब्द को 'कलेण्डर वर्ष' के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए परिभाषित किया गया है, जबकि मूल अधिनियम अर्थात् प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) उसे 'वित्तीय वर्ष' के रूप में परिभाषित करता है। अत: पूर्वोक्त नियम 3 के खंड (x), खंड (xix) और खंड (xx) में पारिणामिक संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) के लिए तैयारी और इसकी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित चार मास की सीमा को भी छह मास तक बढ़ाया जाना भी प्रस्तावित है। इसलिए संदिग्धता दूर करने के लिए और एक समान रूप में अंगीकार करने के लिए उपर्युक्त संशोधनों को प्रभावी करने हेतु इस अधिसूचना को जारी करके उक्त नियमों को संशोधित किया जा रहा है।]

[फा. सं. 15/16/97-पीबीसी/बी(एफ)]

प्रदीप सिंह, अपर सचिव

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 173, तारीख 16 से 22 मई, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2005

G.S.R. 713 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 31 and clause (k) of Sub-section (2) of section 32 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following amendments, namely :—

(1). These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Annual Report of the Corporation (Amendment) Rules, 2005.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Annual Report of the Corporation Rules, 2004,—

(i) in rule 2, for clause (c), the following shall be substituted, namely :—

"(c) 'year' means the financial year;"

(ii) in rule 3 —

(a) for the existing opening paragraph, the following shall be substituted, namely :—

"3. The Corporation shall prepare its Annual Report and make available the same to the Central Government for laying before the Parliament, as required under Section 31 of the Act, within six months from the expiry of the year to which it relates and the report, amongst other things, shall include the following :—"

(b) for the existing clauses (x), (xix) and (xx), the follwing shall be substituted, namely :—

"(x) The details of the annual plan schemes for the previous year and the year under Report indicating the outlay, the achievements and shortfalls, if any, and the reasons for the shortfalls.

(xix) Summary of the balance sheet of the Corporation for the previous year.

(xx) Summary of receipts and payments statement for the previous year."

[**Explanatory Note.**—The term, 'year' has been defined therein to denote 'Calendar Year' while the Parent Act, namely, The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) defines the same as 'financial year'. Consequential amendments are, therefore, necessitated to be made in clauses (x), (xix) and (xx) of rule 3 ibid. Besides, the time-limit of four months prescribed by the Central Government for the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) for the preparation and making available copies of its Annual Report is also proposed to be increased to six months. In order to avoid ambiguity and to adopt a uniform approach, the said rules are being amended by the issue of this notification to give effect to the aforesaid amendments.]

[F. No. 15/16/97-PBC/B(F)]

PRADEEP SINGH, Addl. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.173 dated the 16th to 22nd May, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.